झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

संख्या–8/रा0–02/2009 का0.../राँची, दिनांक– जनवरी, 2016

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0–7216/का0, दिनांक–17.07.2014 द्वारा 'झारखण्ड राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014' गठित है।

2. वित्त विभाग के संकल्प सं0–660/वि0, दिनांक–28.02.2009 में लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार की सेवाशर्त्तों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मियों की सेवाशर्त्तों का निर्धारण किया जाना है।

3. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नियम, 2006 की अनुसूची–1 में अंकित पदनाम (क्रमांक–5) के आलोक में झारखण्ड राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014 में भी प्रोन्नति के प्रथम पदसोपान का पदनाम 'वरिष्ठ अनुवादक निदेशक' विहित है। वित्त विभाग के परामर्श तथा केन्द्रीय नियमावली में उपांत की सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में राज्य के राजभाषा संवर्ग के पदनाम 'वरिष्ठ अनुवादक निदेशक' में 'निदेशक' शब्द को विलोपित किया जाता है। तदनुसार राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–3 के क्रम सं0–2 के स्तंभ–3 में तथा उसके बाद जहाँ कहीं भी उक्त नियमावली में अंकित हो, **'वरिष्ठ अनुवादक निदेशक'** को **'वरिष्ठ अनुवादक'** पढ़ा जाय।

4. अधिसूचना सं0–7216/का0, दिनांक–17.07.2014 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–8/रा0–02/2009 का0..........115................/राँची, दिनांक– 06 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सॉफ्ट प्रति (सीडी) में झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

र. कुमार 06/01/16
(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।